


फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
 प्रियंका बनाम दयाराम

विविध प्रार्थना संख्या 2024/034

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
21.08.2024	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी द्वारा उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत. वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत. दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को पेश हो।</p> <p>1-10-24 आज पीठामान अधिकारी श्री. प्रदीप कुमार अहिर पर हैं, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/10/24 को पेश हो।</p>	
24.10.24	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपर/ उपस्थित की जारी नोटिस कन्फ/ वाद तलबी प्राप्त नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी/ उपस्थित की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 05.12.24 को पेश हो।</p>	
05.12.24	<p>अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता ने आदेशिका पर Not press की रिपवली अंग्रेज करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किए। आज पीठामान अधिकारी श्री. प्रदीप कुमार पर हैं, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09/12/24 को पेश हो।</p>	<p>Not press (बलराम स्वामी) 05/12/2024 (बलराम स्वामी)</p> 

09.12.24

अधिवक्ता प्रार्थी उप०। प्रार्थी अधिवक्ता
 ने प्रकरण को वर्तमान स्टेज पर ही
 दाखिल दफ्तर करने का निर्वाह किया। एवं
 इस आदेश की तत्पश्चात् अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा
 दिनांक 05.12.24 को आदेशिका पर अंकित
 की गई। यही प्रार्थी अधिवक्ता प्रकरण के
 आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः
 प्रारंभिक 212 रीति से 2024/034, अनवरत
 प्रियंका कान्त कुमार व अन्य वर्तमान स्तर पर
 खारिज किया जाता है पराजित नस्तीकड ही
 पराजित दाखल पंजिका के फंक्शन के अंतर्गत
 जकार भिन्नय वी सुची के शामिल है